उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अनुपालन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वृत्तीय संवर्ग) के द्वारा अनुरोध के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्र।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारुप– 2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता के क्रम में	एक्ट की धारा 17 के अनुसार अनुरोध का आधार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री षष्टी दत्त भट्ट	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़	चम्पावत / पाटी	–	नियम 3 का (घ) के अनुसार	हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है (साक्ष्य हेतु राज्य मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है)।

24/9/24

(षष्टी दत्त भट्ट)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
तृतीय वृत्त,लो0नि0वि0,पिथौरागढ़।

(इं0 ए0बी0 काण्डपाल)
अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय वृत्त,लो0नि0वि0,पिथौरागढ़।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

द्वारा— उचित माध्यम

विषयः— वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2024 हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(वृत्तीय संवर्ग) दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कर्मचारियों की सूची जारी की गयी है, जिसमें मेरा नाम सूची के कमांक— 04 पर अंकित है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरे हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है तथा समय—2 पर अपना रुटीन चैकअप कराने एवं हमेशा (आजीवन) औषधि लेने हेतु चिकित्सक द्वारा सलाह दी गयी है। साक्ष्य हेतु (राज्य मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न है) उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि मेरी उक्त बिमारी के अनुसार पिथौरागढ़ शहर (पहाड़ी क्षेत्र) का वातावरण लाभकारी है, जिस कारण में तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ में ही दुर्गम क्षेत्र में सेवा करना चाहता हुँ।

अतः महोदय से अनुरोध है कि मेरे हार्ट की बाईपास सर्जरी को मध्येनजर रखते हुये व राज्य मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट का संज्ञान लेते हुये मेरा स्थानान्तरण दुगर्म से सुगम में नहीं करते हुये मुझे यथावत दुर्गम वृत्त, तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ में ही रहने हेतु मेरा अनुरोध पत्र स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

संलग्न — राज्य मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

1938
24/04/24

प्रार्थी

24/4/24

(षष्टी दत्त भट्ट)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
तृतीय वृत्त,लो0नि0वि0,पिथौरागढ़।

1— अग्रिम प्रतिलिपि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं उपरोक्त परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुये आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

2— अध्यक्ष / महामंत्री, उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, वृत्तीय मिनिस्ट्रियल संघ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुये आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(षष्टी दत्त भट्ट)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
तृतीय वृत्त,लो0नि0वि0,पिथौरागढ़।

पत्रांक 1938 /68ई0ए0-03/24 दि0 24/04/2024

प्रतिलिपि— मूल में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष "अधिष्ठान" लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून को संस्तुति सहित अग्रसारित।

24/4/24

अधीक्षण अभियन्ता
तृतीय वृत्त लो0नि0वि0

हस्ताक्षर प्रमाणित,
श्री षष्टी दत्त भट्ट

मुख्य चिकित्साधिकारी / सचिव,
राज्य चिकित्सा परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनाँक 18.10.2018 को राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून की बैठक मुख्य चिकित्साधिकारी / सचिव के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुयी, श्री षष्टी दत्त भट्ट, आयु लगभग 44 वर्ष के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रकरण महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 19प / 8 / 479 / 2018 / 24422 दिनाँक 17.10.2018 के माध्यम से प्राप्त हुआ। संदर्भित पत्र के अनुपालन में श्री षष्टी दत्त भट्ट राज्य चिकित्सा परिषद् के सम्मुख स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हुए।

राज्य चिकित्सा परिषद् के सदस्यों द्वारा श्री षष्टी दत्त भट्ट का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और परीक्षणोपरान्त उन्हें Post CABG
Patient needs long term treatment
and follow up.

पाया गया।

(डा0 के0आर0 सौन)
आर्थो0सर्जन / सदस्य,
राज्य चिकित्सा परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रूपलीन)
नेत्र सर्जन / सदस्य,
राज्य चिकित्सा परिषद्
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य चिकित्साधिकारी / सचिव,
राज्य चिकित्सा परिषद्
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महानिदेशक / अध्यक्ष,
राज्य चिकित्सा परिषद्
उत्तराखण्ड,देहरादून।

स्व प्रमाणित
2/1/4/24